सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 54/2017

1. मूलाराम पुत्र श्री पूर्णराम जाति मेधवाल निवसी डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. दयालाराम पुत्र हुणताराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. काहनाराम पुत्र पुरखाराम जाति कुम्हार निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. श्री कृष्ण पुत्र पुरखाराम जाति कुम्हार निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. बुधादेवी
5. शान्ति
6. रामेश्वरी
7. कलावती

   पिसरान पूर्णराम जाति मेधवाल निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसील सादुलशहर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

दिनांक :–18.12.2017

आदेश

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत एवं विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गयाहै। प्रश्नगत कृषि भूमि वाके चक 18 एस.पी. तहसील सादुलशहर के मु.न. 10 पत्थर नम्बर 11/198 के किला नम्बर 4 ता 7, 13 ता 15 की कुल 10 बीघा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 4 ता 7 की खातेदारी कृषि भूमि थी जि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 द्वारा एक वाद अनवानी सरकार बनाम पूरन वगैरा अन्तर्ग धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य का प्रस्तुत किया प्रतिवादी सख्याा 1 एस.सी. द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्वर्ण को कृषि हस्तान्तरण कर दी जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 31.05.2002 को रद्द राज घोषित किया गया। माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा किन्तु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मियाद मानकर राज्य पक्ष का दावा दिनांक 29.12.2015 को निरस्त फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दि. 29.12.2015 को आधार मानकर नामान्तरण दर्ज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बिना क्षेत्राधिकार पारित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय से केवल राज्य पक्ष का वाद निरस्त किया था ना कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 का वाद स्वीकार किया गया था। निर्विवाद रूप से प्रश्न

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

भूमि हरिजन की होने के कारण किसी भी प्रकार से स्वर्ण की खातेदारी नहीं हो सकती है। तथाकथित बैयनामा प्रारम्भतः शुन्य दस्तावेज है जो कि किसी भी प्रकार लागू किये जाने योग्य (Enforce able) दस्तावेज नहीं था। किन्तु अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पो. संख्या 1 व 2 की खातेदारी दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 29.12.2015 से राज्य पक्ष का वाद निरस्त होने पर अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि की पूर्व स्थिति बहाल (Restoration of Land) करने हेतु एक नियमित प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें भूमि की पूर्व स्थिति का दुरूपयोग कर (Misuse of Judicial Proceeding) पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का आधार प्रदान किये पारित किया गया है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की विहित प्रकिया की पालना की है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.10.2006 को गिरदावर द्वारा बिना किसी जांच के अंकन सही का उल्लेख किया तथा दिनांक 14.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रकिया की पालना किये तथा बिना मौका की जांच किये तथा आवश्यक पक्षकारों को सूचना दिये पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट से तब हुई जब रेस्पोडेन्ट ने ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की। इस प्रकार अपीलार्थी हल्का पटवारी से दिनांक 22.06.2017 को मिला तो अपीलाधीन आदेश का पता चला इस पर अपीलार्थी ने नकल का आवेदन किया जो बाद तैयार होकर दिनांक 23.06.2017 को प्राप्त हुई । इस हेतु धारा 5 कानूनी मियाद अधिनियम का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अतः अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार सादुलशहर का आदेश दिनांक 14.10.2016 को निरस्त किया जावें एवं अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 07 की अखबार के माध्यम से तामिल करवाये जाने के बावजूद उपस्थित नही है। अधिवक्ता अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्त अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि वाके चक 18 एस.पी. तहसील सादुलशहर के मु.न. 10 पत्थर नम्बर 11/198 के किला नम्बर 4 ता 7, 13 ता 16 की कुल 6.10 बीघा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 4 ता 7 की खातेदारी कृषि भूमि थी जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 8 द्वारा एक वाद अनवानी सरकार बनाम पूरन वगैरा अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सख्याा 1 एस.सी. द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्वर्ण को कृषि भूमि हस्तान्तरण कर दी जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 31.05.2002 को रकबा राज घोषित किया गया। माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा किन्तु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मियाद बाहर मानकर राज्य पक्ष का दावा दिनांक 29.12.2015 को निरस्त फरमा दिया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 29.12.2015 को आधार मानकर नामान्तरण दर्ज कर दिया है।धीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विना क्षेत्राधिकार पारित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय से केवल राज्य पक्ष का वाद निरस्त किया था ना कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 का वाद रवीकार किया गया था। अपीलधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का आधार प्रदान किये पारित किया गया है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की विहित प्रकिया की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पालना की है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.10.2006 को गिरदावर द्वारा बिना किसी जांच के अंकन सही का उल्लेख किया तथा दिनांक 14.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कानूनी प्रकिया की पालना किये तथा बिना मौका की जांच किये तथा आवश्यक पक्षकारों को सूचना दिये पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार सादुलशहर का आदेश दिनांक 14.10.2016 को निरस्त किया जावें एवं अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 29.12.2015 को आधार मानकर नामान्तरण संख्या 338 दिनांक 14.10.2016 दर्ज कर दिया है, जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 29.12.2015 से वाद वादी मियाद के बिन्दु पर खारिज किया गया है। अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर उसके पक्ष में अमल दरामद करने के भी स्पष्ट आदेश नहीं दिये है। प्रकरण में विवादित भूमि का विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ख) के उल्लधन में हुआ है जो विधि विरूद्व है फिर भी अपीलाधीन आदेश के अधीन हस्तगत नामांतरकरण तस्दीक किया है वह भी विधि विरूद्व है। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 तहसीलदार सादुलशहर की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 के अनुसार भी चक 15 एसपीएम इंतकाल संख्या 338 दिनांक 14.10.2016 द्वारा आराजी राज से काहनाराम वगैरह के नाम सही दर्ज नहीं हुआ है। लिहाजा उसे खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सादुलशहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपने दायित्वाधीन अधिकारों का उपयोग कर प्रकरण में विधि के आलोक में समुचित उपचारात्मक कदम उठावे। आदेश की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner